

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं०-5/आरोप-1-172/2017 का०-11855/राँची, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017


पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-13460, दिनांक 13.11.2017 द्वारा भ्र०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-27/17, दिनांक 12.09.17, धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधिनियम, 1988 के अभियुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा को परिवादी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए भ्र०नि० ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 13.09.2017 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2. अतः श्री सिन्हा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 13.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद ये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


04-12-17
(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 5/आरोप-1-172/2017 का०-11855/राँची, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, गढ़वा/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गढ़वा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से०, द्वारा-अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


04-12-17

सरकार के संयुक्त सचिव।